न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00216 (216/2019)
देवीलाल पुत्र धोंकलराम जाति जाट आयु 51 वर्ष निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. बृजलाल पुत्र धोंकलराम जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सन्तरो देवी पत्नी लालचन्द पुत्री धोंकलराम जाति जाट निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. विद्यादेवी पत्नी बनवारी लाल पुत्री धोंकलराम जाति जाट निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. गंगा पत्नी पृथ्वीराज पुत्री धोंकलराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. कमला पत्नी हेतराम पुत्री धोंकलराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. मनीराम पुत्र श्री धोंकलराम जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. सुशीला पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. मीनू देवी पुत्री बलवन्त जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, पीलीबंगा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2010 प्र0 सं0 58/2009 [illegible] बनाम धोंकलराम

श्री प्रद्युमन सिह परमार, अधिवक्ता [illegible]
श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1, 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री रामपाल सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 से 5
श्री गुरमीत सिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 8
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9

निर्णय दिनांक –

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि वादी व प्रतिवादी के पूर्वज मौतीराम के नाम से चक 29 एमओडी, चक 31 एमओडी में कुल 16.153 है0 भूमि थी। वादी के दादा मोतीराम के फौत होने के कारण उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के पैतृक हिस्से में आई जो उसके नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ने चक 29 एमओडी के खाता संख्या 44 की प. नं. 24/252 के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 20 की 1.518 है0 भूमि विक्रय कर दी जो प्रतिवादी सं0 3 के हिस्से में आई। उसने उक्त भूमि का विक्रय कर 31 एमओडी के प. नं. 30/254 में 1.391 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने नाम से खरीद की है उसके अकेले के नाम दर्ज कागजात है। शेष 31 एमओडी की भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का 1.643 है0 का हिस्सा ही शेष रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा भूमि विक्रय करने के बाद इस समय 31 एमओडी की 14.635 है0 भूमि शेष रही जिसमें उसका वादी व प्रतिवादी का हक व हिस्सा कब्जा वाद पत्र के चरण सं0 5 में 1 से 5 दर्ज है। प्रतिवादीगण ने मिलकर 29 एमओडी की 6 बीघा भूमि बैय कर दी व अब और बैय करने पर आमादा है यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी वाद पत्र की मद सं0 2 व 5 में वर्णित आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित करने व मद सं0 5 में वर्णित आराजी के अनुसार वादी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम करने का अनुतोष मांगा।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके भाई ने यह कहा कि धोंकल[illegible] पिता के नाम कृषि भूमि जो जद्दी जायदाद है का बहिस्सा [illegible] है, यह कहकर अपीलार्थी को पीलीबंगा न्यायालय में लेकर [illegible] अधिवक्ता के समक्ष पहले मनीराम, धोंकलराम, बृजलाल ने हस्ताक्षर किये [illegible] इसके बाद देवीलाल के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करवाये थे। इसके बाद अपीलार्थी को बिना कोई जानकारी दिये प्रत्यर्थी संख्या 1 बृजलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता से मिलीभगत कर वाद पत्र प्रस्तुत किया और बिना अपीलार्थी की उपस्थित में पूर्व में करवाये गये हस्ताक्षरों को व्हाईटनर (फलुड) लगाकर बृजलाल, धोंकलराम व मनीराम के हस्ताक्षर छिपा दिये गये और अपीलार्थी के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग कर जवाब प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त जवाब के प्रथम पृष्ठ पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 बृजलाल अधिवक्ता से मिलीभगत कर अपीलार्थी के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग कर अपने पक्ष में जवाब दावा प्रस्तुत करवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा की जानकारी अपीलार्थी को कभी भी नहीं रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे। अपीलार्थी के पिता द्वारा कभी भी अपीलार्थी का मानकर किसी जमीन को विक्रय नहीं किया और ना ही ऐसी कोई जमीन विक्रय कर कोई राशि दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अंकित कथन इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है कि धोंकलराम द्वारा कृषि भूमि विक्रय करने से पूर्व ही अपीलार्थी द्वारा चक 31 एमओडी में जमीन स्वयं की धनराशि में खरीद की है जिसमें अपीलार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के, बिना रिकार्ड का अवलोकन किये निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने यह अपील 9 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नही बाताया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट को भलीभांति ज्ञान रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा और दावें में भिन्नता है। राजीनामा और वाद पत्र अलग अलग है सभी पक्षकारों ने जवाब दावा पेश किया है और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर भी हस्ताक्षर हैं। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था, जो राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया है। अपील में अपीलाण्ट का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बृजलाल अधिवक्ता से मिलीभगत कर अपीलार्थी के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग कर अपने पक्ष में जवाब दावा प्रस्तुत करवा लिया है और दावा डिक्री करवा लिया है। अपीलाण्ट के उक्त की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है। जिसमें अपीलाण्ट का जवाबदावा उपलब्ध है जिसमें व्हाईटनर (फलुड) लगाकर बृजलाल, धोंकलराम व मनीराम के हस्ताक्षर छिपा दिय गये और अपीलार्थी के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग कर जवाब प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त जवाब के प्रथम पृष्ठ पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

20/9/21

(करतारसिह पूनियॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested